न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 70/24 GCMS NO 2024/182

बदरी लाल पुत्र भैरू लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 2

बनाम

1. लल्लूलाल पुत्र मनफूल गुर्जर निवासी ग्राम सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0 न0 1/प्रार्थी

घनश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर

3. छीतर पुत्र चेन्या जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 1,3 व 4

(अपील विरूद्व मु0नं0 51/22 निर्णय दिनांक 10.6.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री एस0एस0गुप्ता

अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 1 श्री श्याम मोहन शर्मा

रैस्पो0 संख्या 2 व 3 नीरज वर्मा

दिनांक 21.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.6.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी लल्लू लाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 323 रकबा 1.24 है0 मे 1/2 हिस्सा ग्राम सुनारी मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी प्रारंभ से काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी कब्जे शुदा भूमि से अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध नही है। प्रार्थी ने उक्त भूमि मे पेड लगा रखे है। जो करीब 5 वर्ष पुराने है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर मुख्यमार्ग से होते हुए पहुॅचने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी शुरू से ही ख0न0 325 रकबा 1.16 है0 व ख0न0 326 रकबा 2.20 है0 एवं 323 मे होता हुआ पहुॅचता आया है। ख0न0 325 व 326 मे मध्य डोल मेड स्थित है जिसकी चौडाई लगभग 5 फीट है। मुख्य मार्ग पर अप्रार्थीगण ने तार फेंसिग अपनी खातेदारी की भूमि पर कर देने से प्रार्थी का रास्ता अपने खेत मे पहुॅचने हेतु आवश्यक है। जिससे की प्रार्थी कृषि संसाधन व स्वयं अपनी खातेदारी पर पहुॅच सके तथा कृषि भूमि पर स्थित वृक्षो से उनके फल बाजार पहुॅचा सके। आरजी ख0न0 323 के उत्तर दिशा की और प्रार्थी की खातेदारी कब्जे शुदा भूमि स्थित पर अमरूद के वृक्ष सरसब्ज खडे है। जिस पर वह काबिज है। [illegible]रा न0 323 के दक्षिण दिशा की और ख0न0 325 स्थित है जिसका खातेदार [illegible] पुत्र भैरू लाल है। खसरा न0 326 का खातेदार काश्तकार छीत[illegible] है। प्रार्थी को वाके ग्राम सुनारी से जोला जो कि मुख्[illegible] 325 व 326 की मे[illegible]होते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

लगभग 10 फीट रास्ते की सख्त आवश्यकता है। जिससे की वह अपने कृषि संसाधन ले जा सके। शुरू से ही प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेतो पर पहुँचने का अन्य कोई निकटतम रास्ता मौके पर मौजूद नही है। यह प्रस्तावित रास्ता संक्षिप्त रास्ता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर नही पहुचता है तो प्रार्थी के लगाये गये अमरूदो का बगीचा नष्ट हो जावेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ते के एवज मे कानूनी प्रावधानो के तहत उनकी खातेदारी की भूमि की ऐवज मे कानूनी निर्धारित डी एल सी रेट देने को तेयार है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की भूमि 323 के उत्तर दिशा की और पहुँचने हेतु ख0न0 325 व 326 की मेड पर होते हुए ख0न0 323 के आधे हिस्से तक 10 फीट चौडा रास्ता कायम किया जावे। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 2/ अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिवत गौर नही किया तथा अपीलांट को सुनवाई हेतु भिजवाये गये नोटिस पर उसकी विधिवत तामिल ना होते हुए भी उसे उचित तामिल मानते हुए उसके विरूद्व गलत व अनुचित रूप से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर अनुचित व अवैध निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु दिनांक 14.9.22 व 4.10.22 की तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जो नोटिस जारी किया है उसके पृष्ट पर प्राप्ति के जो हस्ताक्षर तामिल कुनिन्दा द्वारा कराये गये हस्ताक्षर अपीलांट के हस्ताक्षर नही होकर किसी अन्य के द्वारा किये गये फर्जी हस्ताक्षर है। जो पूर्णतया अपठनीय है तथा जिनको देखकर किसी भी हालत मे यह पता नही लगाया जा सकता कि ये किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है। अपीलांट केवल प्राथमिक स्तर तक पढा लिखा है तथा शुरू से ही सभी स्थानो विभागो मे मीमो आफ अपील पर किये गये हस्ताक्षर जैसे सामान्य हस्ताक्षर करता आया है। उक्त फर्जी नोटिसो पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है तथा दो पेशिया निकलजाने के उपरान्त विधिवत तामिल मानकर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये जो कतई गलत व न्यायोचित है। दिनांक 4.10.22 व दिनांक 19.10.22 की पेशियो पर न्यायिक [illegible] केवल मोहर लगाकर तारीख दिया जाना आर्डर शीटो की नकलो से बखूबी साबित है। [illegible] अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई अवसर [illegible] पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये। रेस्पो0 संख्या 2 [illegible] आपस मे मिली भगत होने के कारण उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

द्वारा भी प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत नही किया गया तथा अपने विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश करवा लिये गये। विवादित आराजीयात की मौके की रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपीलांट को बिना मौके पर बुलाये और ना ही आसपास के लोगो से पुछताछ की गई तथा मौका निरीक्षण करने से पूर्व कानूनन अपीलांट को नोटिस देकर या अन्य किसी प्रकार से सूचना कर मौके पर बुलवाना चाहिए था। लेकिन भू0अ0निरीक्षक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई तथा आफिस मे बैठकर ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई। इस प्रकार बिना मौके पर जाकर बनाई गई रिपोर्ट की कोई अहमीयत नही है। प्रार्थी/रेस्पो0 न0 1 ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपने सशपथ बयान भी अधिनस्थ न्यायालय मे दर्ज नही कराये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट को मानकर ही निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खेत ख0न0 325 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम सुनारी मे से रेस्पो0 संख्या 1 को अपने खेत ख0न0 323 मे 0.0336 है0 भूमि आवागमन के लिए रास्ते के रूप मे देकर अहम कानूनी भूल की है। जबकि अपीलांट की भूमि ख0न0 325 मे होकर उक्त खेत का आवागमन का कोई रास्ता कभी भी आज दिन तक नही रहा है। रेस्पो0 सख्या 1 प्रार्थी आवागमन शुरू से ही ख0न0 358 व 326 की बीच की मेड पर होकर एवं ख0न0 326 व 328 तथा 326 की बीच की मेड पर होकर रहा तथा वर्तमान मे भी रेस्पो0/प्रार्थी यही होकर आवागमन करता आया। उक्त तथ्य को आई एल आर ने अपनी रिपोर्ट मे नही दर्शाया है। खसरा न0 323 अकेले प्रार्थी/रेस्पो0 लल्लू की खातेदारी की नही होकर मुताबिक रिकार्ड घनश्याम व लल्लूलाल की सहखातेदारी खेत है जबकि घनश्याम ने कोई जबाब प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही किया है। ना ही ख0न0 326 के खातेदार छीतर पुत्र चेन्या द्वारा भी कोई जबाब अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही किया कि उक्त ख0न0 326 मे होकर है तो फिर ऐसी सूरत मे जब उक्त पक्षकारान का कोई जबाब ना तो पत्रावली पर आया है और ना ही इस संबंध मे प्रार्थी ने अपने सशपथ बयान कराये है। ना ही आई एल आर के बयान हुए है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र किसी भी सबूत के द्वारा समर्थित न होने के उपरान्त भी उसे स्वीकार कर अहम भूल की है। प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 घनश्याम के मध्य भूमि का बंटवारा होने का कोई निर्णय या अन्य कोई सबूत भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही हुआ है साथ ही रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा ख0न0 325 मे होकर रास्ता की मांग नही की गई है बल्कि अपने प्रार्थना पत्र ख0न0 325 व 326 मे मध्य की मेड /डोल पर होना बताते हुए रास्ते की मांग की है तथा इसकी चौडाई करीब 5 फीट बताई है तो ऐसी सूरत मे जब स्वयं अप्रार्थी ने ही ख0न0 325 मे होकर अपने खेत मे होकर आवागमन हेतु रास्ता नही माना है और ना ही मांग की है तो ऐसी सूरत मे अधिनस्थ न्यायालय ने ख0न0 325 मे होकर रास्ता देने का निर्णय कतई गलत व अन्यायोचित किया है तथा प्रार्थना पत्र तथ्यो एवं अनुतोष के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांट की बिना [illegible] बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही निर्णय पारित किया [illegible] की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हुई। तहसीलदार द्वारा निर्णय [illegible] देते हुए रास्ते के लिए जमा कराई जाने वाली राशि के खाते [illegible] भिजवाये गये नोटिस पर हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

इस प्रकार अपीलांट की अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र साथ पेश की जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि भूमि ख0न0 323 रकबा 1.24 है0 ग्राम सुनारी मे स्थित है जिसमे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। उक्त खसरा न0 पर आने जाने हेतु प्रार्थी/रेस्पो0 शुरू से ही ख0न0 325 व 326 तथा 323 से होता हुआ आता जाता रहा है। खसरा न0 325 व 326 मे मध्य डोल/मेड स्थित है। जिसकी चौडाई लगभग 5 फीट है। उक्त रास्ते पर अपीलांट/अप्रार्थीगण ने तार फेसिंग कर दिये जाने के कारण प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का रास्ता अवरूद्व हो जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे उनकी विधिवत तामिल नही हुई है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट की प्रोपर तामिल होने के उपरान्त ही तामिल कुनिन्दा द्वारा बाद तामिल रिपोर्ट पेश है के बाबत रिपोर्ट सम्मन पर की गई है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मिथ्या है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि भू0अ0निरीक्षक द्वारा मौके पर रिपोर्ट तैयार करने बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना किसी भी माध्यम से नही दी गई। जबकि मौका रिपोर्ट मे भू0अ0निरीक्षक द्वारा स्पष्ट अंकित किया है कि लल्लूलाल व घनश्याम मौके पर उपस्थित हुए एवं शेष अप्रार्थी एवं मौतबिरान मौके पर बुलाने पर भी उपस्थित नही हुए है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट बाबजूद सूचना के मौके पर उपस्थित नही हुए है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की भूमि पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता पूर्व से नही होना स्पष्ट अंकित किया है। इस कारण ही अन्य खातेदार घनश्याम पुत्र रामचन्द्र द्वारा जमीन के बदले जमीन देने पर भी सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 2 घनश्याम की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से ख0न0 323 की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर ख0न0 325 मे से 0.0336 है0 भूमि को भूमि की प्रचलति डी एल सी दर की दो गुना राशि अपीलांट के खाते मे जमा कराने की शर्त पर गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश विधिवत रूप से दिये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा भूमि ख0न0 323 जो [illegible] एवं अप्रार्थी घनश्याम की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है पर आने जाने हेतु रास्ता [illegible] 325 व 326 की मेड पर होते हुए ख0न0 323 के आधे हिस्से तक 10 [illegible] की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा की गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विवादित आराजीयात की मौके की रिपोर्ट रास्ते के संबंध मे तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गई । तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है ना ही मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु नियत दिनांक को उपस्थित होने के बाबत कोई सूचना अपीलांट को दिये जाने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है। जबकि रास्ते के प्रकरणो मे जिस खातेदार की भूमि मे से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित होता है उसकी उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार करना कानूनन आवश्यक होता है, इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी जाकर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण मे रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आने वाली भूमि की मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट भूमि के खातेदार/अपीलांट की उपस्थिति मे तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 51/22 मे पारित निर्णय दिनांक 10.6.24 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आने वाली भूमि के खातेदार/अपीलांट की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.8.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 21.7.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner